PART – 4

राज्य के
नीति निदेशक सिद्धांत

Directive Principles
of State Policy

Article – 36 – 51

निदेशक तत्व

प्रकृति (राज्य)

① कल्याणकारी राज्य
Welfare State

② Art - 38

शासन के मूलभूत सिद्धान्त

① Fundamental of Governance

② मार्गदर्शक
Guiding Principle

- विधि (Law) :
- नीति-निर्माण
  Policy Making
- संस्थाओं का निर्माण (Institution

Implementation of DPSP

① Abolition of जमींदारी Zamindari - उन्मूलन

② Land Reform Act
भूमि सुधार अधिनियम

③ शिक्षा का अधिकार
Right to Education Act

संविधान
constitutional Amend

① 1st ⇒ 39(b)(c), 46

② 44th (सम्पत्ति का अधिकार की समाप्ति)

③ 73rd संविधान संशोधन

40 - पंचायतों का निर्माण

④ 45 - 86th संशोधन
constitutional A.

नीतियां/कार्यक्रम

① शराब बन्दी

② मनरेगा

③ उज्ज्वला

④ आवास योजना

42वाँ संशोधन

C.A.A

1. 39(A) – निशुल्क वैधानिक
2. 43(A) – प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी
3. 48(A) – पर्यावरण संरक्षण

Other Parts

अन्य भाग

1. 335 :
2. 350 A
3. 351

कल्याण (Welfare)	(ii) **Freebies मुफ्त खोरी**
(i) शिक्षा (Education)	(i) बिजली
(ii) स्वास्थ्य (Health)	(ii) पानी
(iii) आवास (Housing)	(iii) लैपटॉप / मोबाइल
(iv) भोजन (food)	(iv) तीर्थयात्रा

उदारीकरण (Liberalisation)

अर्थव्यवस्था

(i) socialist Economy

(ii) राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था

state controlled Economy

(iii) सरकारी उद्यम/सार्वजनिक उद्यम

1991

(i) बाजारवादी अर्थव्यवस्था:

(ii) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था

capitalist/Market

कार, टेलीफोन, जहाज, रेल, मोबाइल

शिक्षा, स्वास्थ्य

① चम्पकम दोराई राजन वाद (Champkam Dorai Rajan case) 1950

② मूल अधिकारों को प्राथमिकता

F·R were more imp

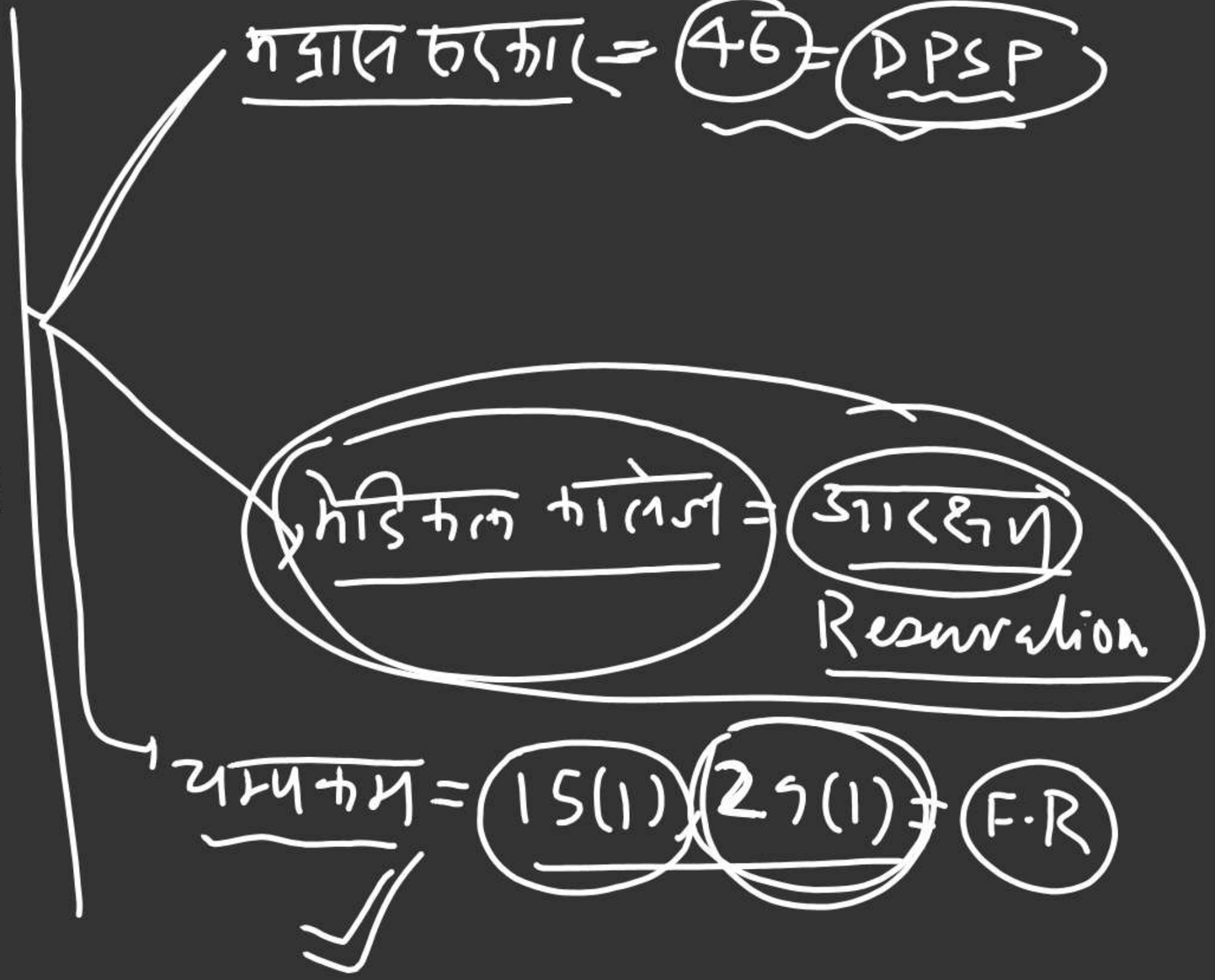

गोलकनाथ वाद (Golak Nath case)

17th-CAA

संविधान संशोधन

(ii) 9th schedule

की अनुसूची

(ii) Land Reform act of Punjab

भूमि सुधार अधिनियम

F.R are sacrosant

मूल अधिकार पवित्र है।

(ii) संशोधन नहीं हो सकता।

- 42वाँ संविधान संशोधन, 1976: इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग-IV में कुछ बदलाव किये गए:
- 42nd Constitutional Amendment, 1976: Some changes were made in Part IV of the Constitution by adding new instructions to it:

36. परिभाषा इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

36. In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” has the same meaning as in Part III.

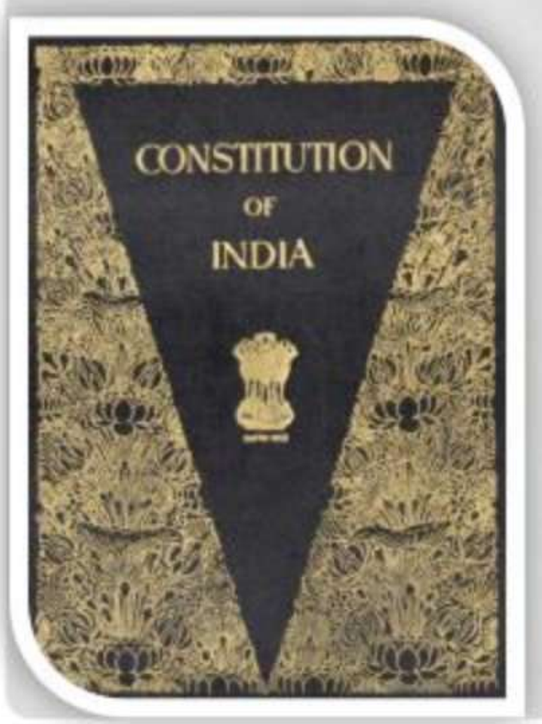

37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा ।

37. The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा

(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा ।

KGS IAS

38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people

1) The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.
2) The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.

- 44वाँ संविधान संशोधन, 1977: इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया जो घोषित करता है कि "राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।" इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया।
- 44th Constitutional Amendment, 1977: It inserted Section 2 into Article 38 which declares that "the State shall endeavour to reduce the economic inequalities in particular to incomes and to abolish the inequalities in respect of status, facilities and opportunities not amongst individuals but between groups." It also eliminated the right to property from the list of fundamental rights.

39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कछ नीति तत्त्व राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-

साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संक्रेद्रण न हो; (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

KGS IAS

39. Certain principles of policy to be followed by the State

The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

A. **That the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;**

B. **That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;**

C. **That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;**

D. **That there is equal pay for equal work for both men and women;**

KGS IAS

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

39 क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के ऑधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से नःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा ।

अनुच्छेद 39A: गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।

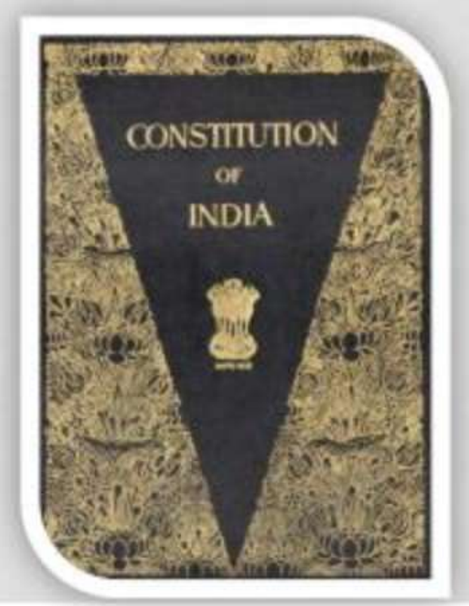

KGS IAS

E. That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength; that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

39 A. The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing.

KGS IAS

40. ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों ।

40. The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.

Ministry of Panchayati Raj
Government of India

KGS IAS

41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार- राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा ।

41. The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

KGS IAS

42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा ।

42. The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

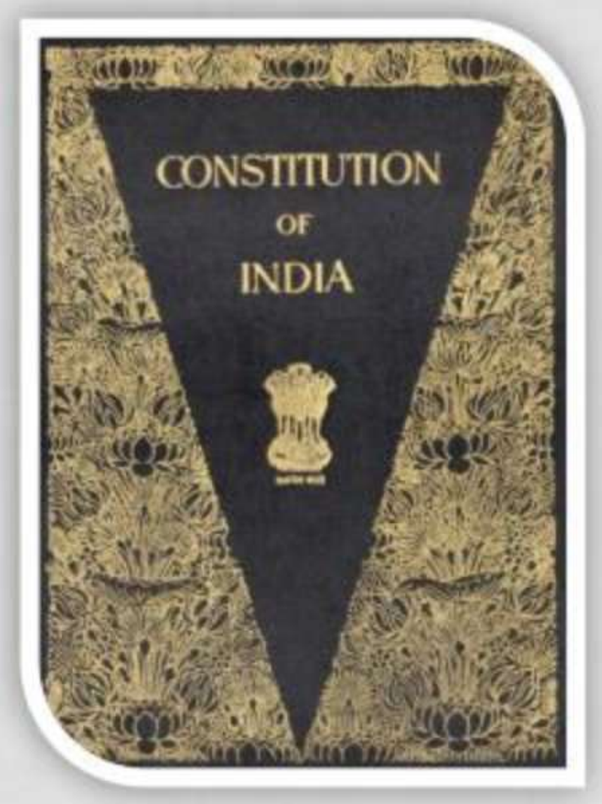

KGS IAS

43. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि- राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा ।.

43. The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

43क. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

43 A. The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry.

KGS IAS

43 ख. सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन - राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा।

43 B. The State shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of co-operative societies.

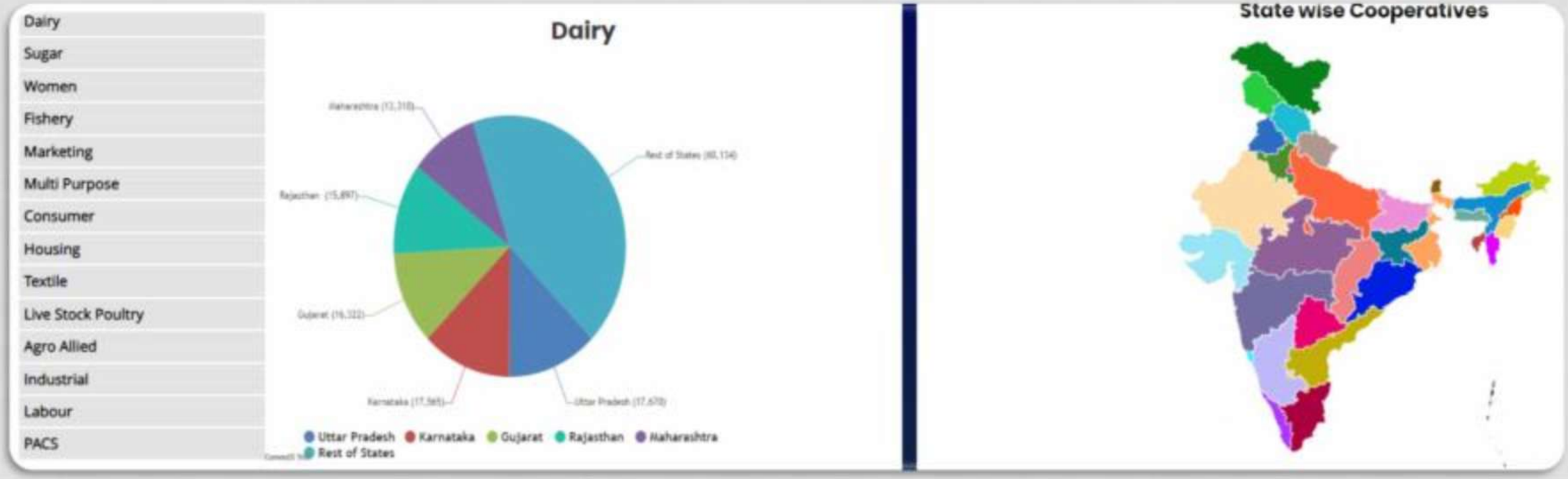

44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता- राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।

44. The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

KGS IAS

45. छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख- रेख और शिक्षा का उपबंध- राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा ।

45. The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.

वर्ष 2002 का 86वाँ संशोधन अधिनियम: इसने अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया।

86th Amendment Act of 2002: It changed the content of Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21A.

KGS IAS

46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि- राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

46. The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

KGS IAS

47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य - राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर ओषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।

47. The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

KGS IAS

48.

1. कृषि और पशुपालन का संगठन- राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा ।
2. पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा- राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

48A : पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना।

KGS IAS

48.

1. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.
2. The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.

KGS IAS

49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण- संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले 'घोषित किए गए। कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।

49. It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, 1 [declared by or under law made by Parliament] to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

KGS IAS

50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्त करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

50. The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

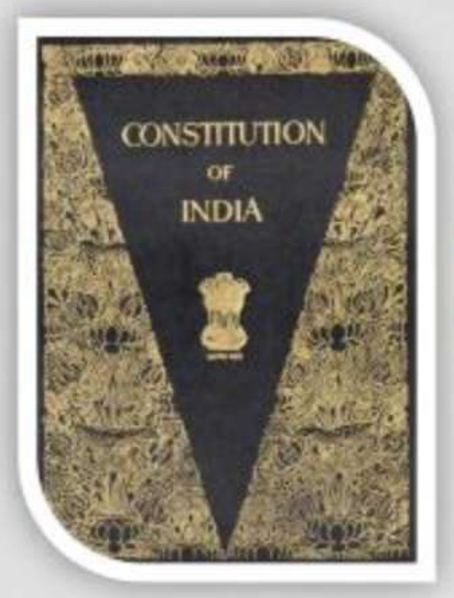

51. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि-राज्य,-

(क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने

(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि का और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और

(घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, प्रयास करेगा ।

51. The State shall endeavour to

(a) promote international peace and security;

(b) maintain just and honourable relations between nations;

(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another; and

(d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

KGS IAS

KGS IAS

PART – 4(A)

मूल कर्तव्य

FUNDAMENTAL RIGHTS

Article – (51A)

51 क. मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे ;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

51A. Fundamental duties.—It shall be the duty of every citizen of India—

(a) To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) To defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) To value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;]

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।]

i) **To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform; to safeguard public property and to abjure violence;**

j) **To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;**

k) **Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.**

KGS IAS

THANK YOU!